an>

Title: Regarding Problem of Floods, Soil erosion etc. in Assam

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई) : माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्या आकर्षित करने का मौका दिया है। हम सब लोग जानते हैं कि देश में एक बहुत बड़ समस्या, बाढ़-फ्लड की है, इसके साथ ही भू-कटाव-लैंड इरोजन और भूस्खल लैंडस्लाइड को मिलाकर ये तीन समस्याएं हैं, जो पूरे देश में हैं। मैं नॉर्थ-ईस्ट के असम से आता हूं। असम में हर साल फ्लड के कारण लाखों लोग प्रभावित होते है लाखों लोगों को जान-माल और अपने डोमेस्टिक एनिमल्स का नुकसान होता है। इस साल भी 22 जिलों में करीब 21 लाख से ज्यादा लोग इफेक्टिड हुए हैं, 200 से ज्याद लोगों की मृत्यु हो गई है। नॉर्थ ईस्ट के अन्य इलाके जैसे मणिपुर और अरुणाच प्रदेश में भूस्खलन बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि जो एनडीएमए एक्ट है, जो वर्ष 2009 में संशोधि हुआ था, उसमें फिर से संशोधन करके असम की फ्लड्स या देश के अन्य हिस्सों व्याप्त फ्लड, लैंड इरोजन और लैंडस्लाइड की प्रॉबल्म्स को एक नेशनल प्रॉब्लम क संज्ञा दी जाए और इसी के आधार पर एनडीएमए एक्ट में संशोधन करके नॉर्थ ईस और पूरे देश को इन तीनों समस्याओं से मुक्त किया जाए। हम लोगों ने Flood-Fre Assam का नारा दिया है। भारत सरकार के माध्यम से असम और पूरा नॉर्थ ईस फ्लड-फ्री रहे। असम में जो फ्लड है, वह केवल असम में ही उत्पन्न फ्लड नहीं है यह फ्लड भूटान से आती है, वहां से कुरी-चू नदी का पानी छोड़ दिया जाता है जिससे नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश और मेघालय का पानी असम में आ जाता है इसीलिए, इस विषय के समाधान के नाते मैं आपके हस्तक्षेप की मांग करता हू आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।